उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

क्रमांक /139/स्था./2012/ रायपुर, दिनांक ....

—: विज्ञापन :—

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1—9/2010/11/6 दिनांक 18—7—2012 में निहित निर्देशानुसार उद्योग संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों के सीधी भर्ती के पदों पर रिक्तियों की पूर्ति हेतु व्यापम द्वारा निर्धारित ओ.एम. आर. आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2013 से 18.01.2013 तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

रिक्त पदों का विवरण —

संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों के सहायक प्रबंधक की सीधी भर्ती के पदों का विवरण

क्र.	श्रेणी	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	कुल रिक्त पद
01	अनुसूचित जाति	**05**	**03**	—	**01**	**09**
02	अनुसूचित जनजाति	**14**	**07**	**01**	**02**	**24**
03	अन्य पिछड़ा वर्ग	**06**	**03**	**01**	**01**	**11**
04	अनारक्षित	**17**	**09**	**02**	**03**	**31**
	योग	**42**	**22**	**04**	**07**	**75**

टीपः—मान0उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) क्रमांक 593/2012, 591/2012, रिट पिटी.(सी) कमांक 592/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी. (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं मान.न्यायालय के अन्तिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है ।

भाग — अ

1. **आवेदन पत्र डाकघर से प्राप्त करने की तिथि —**

   (अ) **05.01.2013 से 15.01.2013 तक सभी जिला मुख्यालय के डाकघरों से।**

   (ब) **16.01.2013 से 18.01.2013 तक केवल संभागीय मुख्यालय, रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर के प्रधान/मुख्य डाकघर से।**

   (स) **आवेदन पत्र डाकघर में जमा करने की अंतिम तिथि — 19.01.2013**

   (द) **परीक्षा तिथि— 10-02-2013, SUNDAY, 9.00 to 11.15 a.m.**

2— पदों में शैक्षणिक योग्यता तथा वेतनमान

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वांछित शैक्षणिक योग्यता
1	2	4	5	6
1	सहायक प्रबंधक	5200—20200	2800	(अ) स्नातक (कला, वाणिज्य, विज्ञान) अथवा (ब) किसी मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)

टीप :—

(अ) विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है ।

(ब) विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि सुधारी जा सकती है जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी।

3— आयु :—

3.1 01—01—2013 की स्थिति में उम्मीद्वार की आयु 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है ।

3.2 यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो आयु की उच्चतर सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

3.3 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम—4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु—सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

3.4 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी , अर्थात्:—

3.4.1— ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

3.4.2— ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

3.4.3— ऐसे अभ्यर्थी, जो ''छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी'' हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:—शब्द ''छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने

की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया था ।

3.5– ऐसे अभ्यर्थी, जो 'भूतपूर्व सैनिक' है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–सयम पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

3.6– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

3.7– अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

3.8– "शहीद राजीव पाण्डे / गुण्डाधर / महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त" अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

3.9– उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

3.10– स्वयं–सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी :–(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (3.4) के उपखण्ड (3.4.1) तथा (3.4.2) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात या तो वे चयन/ परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी :–(2) किसी भी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4– अन्य शर्तें –

4.1– आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है ।

4.2– चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी तथा परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर ही नियमानुसार नियमित किया जायेगा ।

4.3— आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.4— जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाई स्कूल के अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.5— रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.6— शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.7— शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4.8— नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले अथवा किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

5— आवेदन पत्र एवं अन्य शर्तें :—

5.1— छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रू0 500/— तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु रू0 700/— शुल्क देय होगा ।

भाग — ब

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के निर्देश

1. आवेदन पत्र क्रय करते समय आपको निम्न सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी :—

01. आवेदन पत्र क्रय करने की रसीद ।

02. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (लिफाफे के अंदर)

03. भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (नमूनार्थ) ।

2. **परीक्षा शुल्क :—**

(अ) अनारक्षित **वर्ग एवं** अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु — 700/— रू.

(ब) अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग हेतु — 500/— रू.

3. **आवेदन पत्र जमा करना :—** भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा जिला मुख्यालय के प्रधान/मुख्य डाकघर में बिना डाक शुल्क के 19.01.2013 तक जमा किया जा सकेगा । जमा करने पर डाकघर द्वारा पावती दी जावेगी । लिफाफे में ओ.एम. आर. आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें ।

4. **आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश :—**

1. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को भलीभांति पढ़ लेवें, पश्चात् सावधानीपूर्वक वांछित जानकारी भरें । ध्यान रहे कि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कांटछांट न हो ।
2. यदि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी चौखाने में भरी जानकारी एवं उससे संबंधित गोले में भरी गई जानकारी में अंतर पाया जाता है तो गोले में भरी गई जानकारी अंतिम माना जावेगा ।
3. परीक्षा संपन्न होने के उपरांत ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को बदलने के संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक

ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं के नाम एवं फोटो लेने के तारीख सहित रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं । फोटो पर हस्ताक्षर न किया जाए ।

विशेषः— भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भेजने के पूर्व उसकी फोटो कापी अपने पास सुरक्षित रखें ।

5. परीक्षा केन्द्र :—

रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में परीक्षा केन्द्र होंगे । तद्नुसार परीक्षार्थी किसी एक शहर का चयन कर सम्बंधित कोड नंबर पर गोला लगावें ।

परीक्षा पद्धति :— कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा । प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले/काले डाट पेंन से गोला लगाना होगा ।

6. मुल्यांकन पद्धति :—

प्रत्येक प्रश्न पत्र का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य अंक दिये जायेगे । परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए भी शून्य अंक दिये जायेंगे । ऋणात्मक अंक नहीं दिये जाएंगे ।

दावा/आपत्ति के निराकरण :—

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है । यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ईमेल आई.डी. cgvyapam@gmail.com से भेजा जा सकता है । **बिना प्रमाण अथवा रोल नंबर अथवा नाम के दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा ।** प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है । **व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा ।**

7. परीक्षा परिणाम :—

परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जावेगा, जो परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेंगे तथा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की प्रवीण्य सूची के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा । व्यापम द्वारा आवेदन पत्र की स्क्रूटनी नहीं की जाती है । आप इस परीक्षा हेतु निर्धरित योग्यता रखते हैं यह आपकी जवाबदारी है । वांछित सभी मूल प्रमाण—पत्र संबंधित विभाग के समक्ष काउंसिलिंग/नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा ।

8. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में देय अंक –

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण कर मॉडल उत्तर तैयार किया जाता है । विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैः–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. एक भी उत्तर सही या स्पष्ट न हो,
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो, जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी अभ्यार्थियों को उस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोनस अंक प्रदान करता है । भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं ।

मूल्यांकन, पद्धति निम्नानुसार होगी :– यदि 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में दो प्रश्न निरस्त किय जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यार्थी के 85 उत्तर सही पाए जाते है तो बोनस अंक सहित उसके कुल प्राप्त अंको की गणना इस प्रकार होगी –

$$\frac{\text{परीक्षार्थी के सही उत्तरों की संख्या x कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न – निरस्त प्रश्न}} = \frac{85 \times 150}{150-2} = 86.148$$

इसी आधार पर मेरिट निर्धारित होगी ।

9. पुनर्गणना/पुनर्मुल्यांकन :–

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उत्तर शीट का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा ओ.एम.आर. पद्धति से किया जाता है । अतः इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा ।

10. प्रवेश पत्र (Admit Card) :–

(क) समय सीमा के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अभ्यार्थियों को परीक्षा के लगभग 10 दिवस के पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card) डाक द्वारा प्रेषित करेगा । इसमें अभ्यर्थी की महत्वपूर्ण जानकारी यथा अभ्यर्थी का स्केन्ड फोटासग्राफ, परीक्षा केन्द्र का नाम, रोल नम्बर, श्रेणी आदि अंकित की जावेगी । अभ्यर्थी इसकी भली–भांति जांच कर लें । यदि परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण हो तो वह त्रुटि सुधार हेतु तुरंत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के

कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक संशोधन करा लेवें । परीक्षा पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा । चाहे वह त्रुटि व्यापम कार्यालय स्तर पर ही क्यों न हुई हो।

(ख) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र वापस लेने, रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ग) अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(घ) अलटरनेट परीक्षा प्रवेश पत्र – छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाईट **cgvyapam.choice.gov.in** अथवा **www.cgvyapam.gov.in** पर परीक्षा के तीन दिन पूर्व जारी कर दिया जावेगा । वे अभ्यर्थी जिनको डाक द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त न हो व्यापम की बेबसाईट में अलटरनेट परीक्षा प्रवेश का पिंट आउट प्राप्त कर सकते है । इंटरनेट से प्राप्त परीक्षा प्रवेश पत्र में रंगीन फोटोग्राफ (नाम तथा दिनांक प्लेट सहित) चिपकाएं तथा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश पत्र में चिपकाए गए फोटो का प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है।

यदि किसी अभ्यर्थी को व्यापम द्वारा भेजा गया परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है और न ही व्यापम की वेबसाईट पर उसे जानकारी उपलब्ध होती है तो अभ्यर्थी स्वयं के दो पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटाग्राफ (नाम और दिनांक प्लेट सहित) आवेदन क्रय करने की रसीद, डाकघर में आवेदन पत्र जमा करने की रसीद तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटोकापी के साथ परीक्षा शहर के परीक्षा समन्वय केन्द्र (लीड कॉलेज) पर जाकर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बनवाकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। इस हेतु तथा अन्य पत्राचार हेतु परीक्षा आवेदन फार्म को भेजने से पूर्व उसकी छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें ।

संचालक
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

भाग – स

परीक्षा का पाठ्यकम एवं अवधि तथा प्रश्न की संख्या

समय 2 घन्टे
प्रश्न संख्या–150
प्रति प्रश्न 1 अंक

पाठ्यकमः–

भारत का इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, प्रमुख खेल एवं संबंधित जानकारियां, पुरूस्कार एवं सम्मान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, साहित्य (कृतियां एवं उनके लेखक) छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान, सामायिक घटना चक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण । (100 प्रश्न)

भारतीय अर्थ व्यवस्था :– राष्ट्रीय आय, आयोजना, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की प्राकृतिक संसाधन, भारत में विकास एवं रोजगार कार्यकम, भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग, औद्योगिक नीति, भारत में विदेशी पूँजी और विदेशो सहायता, भारत में बैंकिंग प्रणाली, औद्योगिक वित्त, आदि । (20 प्रश्न)

अंक गणित एवं तार्किक योग्यता (संख्या पद्धति, कारिणी, घातांक, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, लाभ हानि, औसत, अनुपात एवं समानुपात, साधारण एवं चकवृद्धि व्याज) भाषिक तार्किक विश्लेषण, अभाषिक तार्किक विश्लेषण । (30 प्रश्न)

संचालक
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर